1. अमोनियम नाइट्रेट (ए.एन.) क्या है ?

उत्तर : शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट (NH4NO3) 170 डिग्री सेल्सियस के गलनांक वाला एक सफेद, पानी में घुलनशील, स्फटिक पदार्थ है । इस पदार्थ को आक्सिडाइजिंग एजेंट वर्ग 5.1 (UN1942) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । यह व्यावसायिक विस्फोटकों के निर्माण में प्रयुक्त होनेवाला एक प्रमुख संघटक है । इसलिए अमोनियम नाइट्रेट को एक विस्फोटक के रूप में घोषित किया गया है तथा अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के नियम 2(ख) में परिभाषित किया गया है ।

2. क्या अमोनियम नाइट्रेट को 'विस्फोटक' वर्गीकृत किया गया है ?

उत्तर : अधिसूचना सं जी.एस.आर. एस.ओ. 1678(ई) 21/07/2011 के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NH_4NO_3 है या किसी भी संयोजन में वजन में 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होने पर, जिसमें इमल्शन, सस्पेन्शन्स, मेल्ट्स या जेल्स (अकार्बनिक नाइट्रेट के साथ या उसके बिना) शामिल हैं, विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत विस्फोटक समझा जाएगा । बशर्ते अमोनियम नाइट्रेट या कोई अन्य संयोजन में रासायनिक खाद जिसमें से भैतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को नहीं निकाला जा सकता है, का समावेश नहीं होगा ।

3. अमोनियम नाइट्रेट को इतना विस्फोटक कौन बनाता है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट स्वयं एक विस्फोटक नहीं है । तथापि, यह विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री में से एक संघटक है । संयुक्त राष्ट्र के परिसंकटमय माल के वर्गीकरण के अनुसार इसे एक आक्सीडायजर (5.1) वर्गीकृत किया गया है । इसे विस्फोटक बनाने के लिए इसमें ईंधन, आदि जैसी अन्य सामग्री मिलाने की जरूरत होती है । इस तरह के विस्फोटक मिश्रण में विस्फोट करने के लिए, डेटोनेटर जैसे इनिशीएटर की आवश्यकता होती है ।

4. अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए एक आवश्यक प्रमुख संघटक है और अधिसूचना सं जी.एस.आर. एस.ओ. 1678(ई) 21/07/2011 के द्वारा इसे डीम्ड विस्फोटक घोषित किया गया है । इसमें ईंधन, आदि जैसी सामग्री मिलाने पर विस्फोटक मिश्रण बनाने की क्षमता है । इसलिए, अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता है जिसके लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 बनाए गए ।

5. क्या अमोनियम नाइट्रेट के परेषण (कन्साइन्मेन्ट) का विस्फोट करना संभव है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट अपने आप ही विस्फोटित नही होता ।

6. अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कहां किया जाता है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक, ऐनेस्थेटिक गैस, उर्वरक, कोल्ड पैक्स, आदि के विनिर्माण में एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

7. अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित गतिविधियों के लिए कौन से अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, जहाजीकुली और बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट को बिक्री या उपयोग हेतु रखना विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन समाहित है । अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए आईडीआर अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक अनुज्ञप्ति आवश्यक है । अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत भी उपर्युक्त किसी भी गतिविधी के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है ।

8. आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत जारी औद्योगिक अनुज्ञप्ति तथा अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत पेसो द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के बीच क्या अंतर है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए आईडीआर अधिनियम, 1951 के अंतर्गत डीआईपीपी द्वारा औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है ।
विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत समाहित अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, जहाजीकुली और बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट को बिक्री या उपयोग हेतु रखने के लिए, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाती है । विस्फोटक अधिनियम का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना अर्थात सुरक्षा और अमोनियम नाइट्रेट परेषणों (कन्साइन्मेन्ट) का हिसाब रखना है । परिसर की सीमा दीवार, गोदामों को ताले, गार्ड, परेषणों का गार्ड द्वारा मार्गरक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों में मार्गरक्षण, आदि जैसे कुछ बुनियादी सुरक्षा प्रावधान, उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए है ।

9. अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित गतिविधियों के लिए, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012, के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, आवेदन पत्र, फीस और नियमों में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज, अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट

संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होते है । अमोनियम नाइट्रेट नियमों के नियम 30 के अनुसार, सुविधाओं के विनिर्माण से पहले, पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए । इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को, विद्यमान अमोनियम नाइट्रेट की सुविधाओं के लिए इस तरह का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा । अनुमोदन के अनुसार सुविधाओं के विनिर्माण के पश्चात, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 31 के अनुसार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा । सभी दस्तावेज व्यवस्थित रूप में पाए जाने पर, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है तथा परिसर के निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारी को अग्रेषित की जाती है । निरीक्षण के पश्चात अनुज्ञप्ति पृष्ठांकित कर अनुज्ञप्तिधारी को जारी की जाती है । आवेदनों की स्थिति, संगठन की वेबसाईट www.peso.gov.in के पब्लिक डोमेन लिंक में ऑनलाइन देखी जा सकती है ।

10. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कौनसे दस्तावेज आवश्यक हैं ?

उत्तर : नियम 30 के अंतर्गत अनुमोदित योजना के अनुसार, परिसर के विनिर्माण के पश्चात, आवेदक नियम 31 में दिए गए दस्तावेजों के साथ, अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करेगा ।

11. अमोनियम नाइट्रेट की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के लिए क्या शुल्क है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के लिए शुल्क अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 29 में निर्दिष्ट हैं और यह गतिविधि की व्यापकता और उसके पैमाने पर निर्भर करता है ।

12. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली अमोनियम नाइट्रेट अनुज्ञप्ति की अधिकतम अवधि क्या है ? क्या अनुज्ञप्ति नवीकरणीय है ?

उत्तर : अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से अधिकतम पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है, जिसमें 31 मार्च को समाप्त होनेवाला उसका भाग सभी प्रयोजनों के लिए समाहित है, केवल, आयात और निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति को छोड़कर, जो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी । अनुज्ञप्ति नवीकरणीय है ।

13. कारखानों, भंडारण डिपो में और पारगमन के दौरान, अमोनियम नाइट्रेट परेषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट नियमों के अंतर्गत, सुरक्षा प्रावधानों का निर्धारण संबंधित जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है । अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के समय,

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, जहाजीकुली, बैगिंग, बिक्री या उपयोग के लिए रखने हेतु, परिवहन, आयात, निर्यात करने के इच्छुक व्यक्ति, पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुमोदित सुरक्षा की दृष्टि से विधिवत जांची गई सुरक्षा और सतर्कता प्रबंधन योजना, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।
यहां जिला प्राधिकारी का अर्थ है – जिन शहरों में पुलिस आयुक्त है, वहां आयुक्त या पुलिस उपायुक्त और अन्य स्थानों में जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

कारखानों और भंडारण गोदामों के भीतर सुरक्षा गार्ड का प्रावधान नियम 12(1) और (2) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है ।
परिवहन के दौरान, अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाहनों के साथ कम से कम दो शारीरिक रूप में सक्षम गार्ड रहेंगे । परिवहन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट की पर्याप्त सुरक्षा अनुज्ञप्तिधारी के व्यय से होगी और यदि अमोनियम नाइट्रेट का परेषण गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने की संभावना है, तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान सशस्त्र पुलिस अनुरक्षण या गार्ड द्वारा इसका मार्गरक्षण किया जाएगा जैसा कि नियम 22(2) और 22(4) में विनिर्दिष्ट है ।
अनुज्ञप्ति की शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट, अमोनियम नाइट्रेट के नुकसान, कमी या चोरी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और जिला प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा ।

14. संवेदनशील क्षेत्रों/अधिसूचित क्षेत्रों में (विशेषत: नक्सली क्षेत्रों में) परेषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर : नियम 22(4) के अनुसार, परिवहन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्तिधारी को व्यय करना होगा और यदि अमोनियम नाइट्रेट का परेषण गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने की संभावना है, तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान सशस्त्र पुलिस अनुरक्षण या गार्ड द्वारा इसका मार्गरक्षण किया जाना चाहिए ।
इसलिए, अमोनियम नाइट्रेट के परेषणों की सुरक्षा अनुज्ञप्तिधारी, पुलिस और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है ।

15 क्या अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन कर रहे वाहनों के लिए पुलिस द्वारा मार्गरक्षण अनिवार्य है ? यदि ऐसा है तो, पुलिस/सशस्त्र गार्ड कौन उपलब्ध कराएगा ?

उत्तर : वर्तमान में, अमोनियम नाइट्रेट ले जा रहे वाहनों के लिए नियमित क्षेत्रों में परिवहन हेतु पुलिस मार्गरक्षण अनिवार्य नहीं है । तथापि, वाहनों के साथ कम से कम दो शारीरिक रूप में सक्षम गार्ड अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि अमोनियम नाइट्रेट का परेषण गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों

से गुजरने की संभावना है, तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान सशस्त्र पुलिस अनुरक्षण या गार्ड द्वारा इसका मार्गरक्षण किया जाएगा ।

16. नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कौन जिम्मेदार है ? ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

उत्तर : अनुज्ञप्तिधारी के परिसर के भीतर कार्यात्मक पहलुओं से संबंधित प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, अननुपालन की गंभीरता के आधार पर, संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी- जिला प्रशासन या पेसो, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकते हैं ।

चोरी, पिलफरेज, पथांतरण (डायवर्जन), आदि के सुरक्षा संबंधित मामलों में पुलिस अधिकारी उचित दंडात्मक कार्रवाई करते हैं । ऐसे मामलों में अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी भी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकते हैं । ऐसे अवसरों पर, गंभीर मामलों में, पेसो की जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति रद्द करने तक सीमित है । इस तरह के मामलों के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में कोई दंडात्मक प्रावधान शामिल नहीं है । विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम,1908, या किसी भी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या नियम के अंतर्गत जिला प्रशासन उस व्यक्ति को आरोपित कर सकते हैं ।

17. क्या अमोनियम नाइट्रेट नियम के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट दी गई है ?

उत्तर : जी नहीं । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट नहीं हैं । संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार स्वयं के इस्तेमाल हेतु, इस तरह की सेना के अन्य प्रतिष्ठानों के लिए, छूट प्रदान की गई है;

(क) भारतीय रेल और इसके वाहक के रूप में कार्य करते अधिकृत वाहक;

(ख) पत्तन प्राधिकरण;

(ग) इन नियमों या अधिनियमों के अंतर्गत किसी शक्ति का प्रयोगकर्ता केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी व्यक्ति ।

18. क्या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आयडीआर अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट दी गई है ?

उत्तर : जी नहीं । डीआईपीपी द्वारा जारी पत्र सं 2(2)/2013-विस्फो दिनांक 06.06.2013 के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए छूट प्रदान की

गई है, लेकिन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट देने का कोई संदर्भ नहीं है ।

19. क्या अमोनियम नाइट्रेट का भारत में आयात किया जा सकता है ?

उत्तर : जी हाँ, अमोनियम नाइट्रेट का भारत में आयात किया जा सकता है ।

20. कुल कितना आयात हुआ हैं ?

उत्तर : इस कार्यालय द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए कोई अनुज्ञप्ति जारी नही की गई हैं , इसलिए, सटीक आंकड़े इस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं हैं । ऐसा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 20,000 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट आयात किया गया है ।

21. कुल कितना घरेलू उत्पादन हुआ हैं ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट नियम जुलाई 2012 में अधिसूचित किए गए है । उस तारीख से पहले अमोनियम नाइट्रेट पर कोई विनियमन ना होने के कारण उसके उत्पादन के संबंध में कोई प्रमाणित डाटा उपलब्ध नहीं है । वर्तमान में अनुज्ञप्तिकरण की प्रक्रिया जारी है । अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुसार भारत में पांच बड़े विनिर्माताओं की कुल स्थापित क्षमता 1054830 मीट्रिक टन है । कन्वर्टर्स के लिए विनिर्माण क्षमता 197400 मीट्रिक टन है । परमाणु ईंधन परिसर से प्राप्त स्लज से अमोनियम नाइट्रेट एक्स्ट्रेक्शन के लिए क्षमता 11400 मीट्रिक टन है।

22. अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के अंतर्गत कितने विनिर्माताओं ने अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है और मंजूरी के लिए कितने लंबित हैं ?

उत्तर : भारत में अमोनियम नाइट्रेट के पांच बड़े विनिर्माताओं मे से, मेसर्स गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएनएफसी) को अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हैं । अन्य चार विनिर्माताओं ने भी आवेदन किया है जो संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रतिक्षित हैं ।

23. अमोनियम नाइट्रेट के आयात पर वर्तमान विनियमन क्या है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट का आयात वर्तमान में अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के तहत नियंत्रित किया जाता है । डीजीएफटी की दि.14/08/2013 की अधिसूचना संख्या 34(RE-2103)/2009-2014 के अनुसार, आईटीसी (एचएस), 2012 की अनुसूची

I (आयात नीति) के अध्याय 31 में एक्जिम कोड 3102 30 00 के अंतर्गत 'अमोनियम नाइट्रेट' मद 'जलीय घोल में हो या ना हो' के संशोधित आयात नीति, की शर्त के अनुसार, रासायनिक सूत्र NH_4NO_3 या किसी भी संयोजन में वजन में 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेट युक्त होने पर जिसमें इमल्शन, सस्पेन्शन्स, मेल्ट्स या जेल्स (के साथ या अकार्बनिक नाइट्रेट के बिना) शामिल हैं, अमोनियम नाइट्रेट के आयात हेतु मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (मु.वि.नि./पेसो) का अनुमोदन आवश्यक होगा । जहाजरानी मंत्रालय की अधिसूचना सं GSR2182 (ई) दिनांक 16 जुलाई 2013 द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए बंदरगाह भी अधिसूचित किए गए है ।

24. क्या अमोनियम नाइट्रेट नियम के अंतर्गत कोई जुर्माना/गिरफ्तारी, आदि दण्डनीय प्रावधान है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट नियम के अंतर्गत जुर्माना /गिरफ्तारी, आदि दण्डनीय प्रावधान शामिल नहीं हैं ।

25. अमोनियम नाइट्रेट की अवैध गतिविधियों -निर्माण, उपयोग, संपरिवर्तन, चोरी या पथांतरण (डायवर्जन) के मामलो में कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार कौन है - पेसो या पुलिस अधिकारी ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 51 के अनुसार उपरोक्त अवैध गतिविधियों में से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस और संबंधित जिला प्राधिकरण जिम्मेदार हैं । नियमों में इस पहलू के संबंध में पेसो के उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है ।

26. अमोनियम नाइट्रेट का अधिकतम उपयोग कहां होता है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट का अधिकतम उपयोग विस्फोटक विनिर्माण उद्योग में होता है ।

27. देश में विस्फोटक विनिर्माण उद्योगों द्वारा अमोनियम नाइट्रेट (एएन) की कुल जरूरत क्या है ?

उत्तर : देश में विस्फोटक विनिर्माण उद्योगों द्वारा अमोनियम नाइट्रेट (एएन) की कुल अनुमानित वार्षिक आवश्यकता लगभग 6,00,000 मीट्रिक टन है ।

28. अमोनियम नाइट्रेट का कुल आयात और घरेलू उत्पादन कितना हैं ?

उत्तर : पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्वदेशी निर्माण और अमोनियम नाइट्रेट के आयात के स्तर इस प्रकार है-

	2011-12 (टन में)	**2012-13** (टन में)
आयात	**365700**	**226000**
घरेलू विनिर्माण	**389667**	**304000**
कुल योग	**755367**	**530000**

29. देश में अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदा विनिर्माण क्षमता कितनी है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुसार भारत में पांच प्रमुख विनिर्माताओं की कुल स्थापित क्षमता 1054830 मीट्रिक टन (एमटी) है । कन्वर्टर्स के लिए विनिर्माण क्षमता 197400 एमटी । परमाणु ईंधन परिसर से प्राप्त स्लज से अमोनियम नाइट्रेट की एक्स्ट्रेक्शन की क्षमता 11400 एमटी है ।

30. स्वास्थ्य पर अमोनियम नाइट्रेट का क्या प्रभाव होता हैं ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट का त्वचा से संपर्क होने पर, आँखों के संपर्क में आने पर (जलन), अन्तर्ग्रहण करने पर, साँस लेने पर (फेफड़ों में जलन) के मामलो में खतरनाक हैं । त्वचा से संपर्क में (permeator) के मामले में थोड़ा खतरनाक हैं । लंबे समय तक संपर्क में रहने पर त्वचा में जलन और छाले हो सकते है । श्वसन द्वारा अति संपर्क की स्थिति में साँस में तकलीफ हो सकती है ।

31 . भारत में अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण एवं उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाएं गए है ?

उत्तर : अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण एवं उपयोग को विनियमित करने के लिए जीएसआर सं. 553 (ई) दि. 11.07.2012 द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 अधिसूचित कर दिए गए है ।